न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 67/2018 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00236

उनवान

भूदेवी पत्नी हरीशचन्द जाति लोधा निवासी ग्राम खेरली तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामस्नेही पत्नी नेकराम
2. जनदेवी पत्नी बिजेन्द्र सिंह
3. सरवन सिंह पुत्र रामदयाल

जाति लोधा निवासीगण ग्राम खेरली तह0 व जिला धौलपुर।

4. अजमेर सिंह
5. मोतीराम

पुत्रगण प्यारे

6. श्यामलाल
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.05.2018 प्रकरण संख्या 04/2011 उनवान भूदेवी बनाम रामस्नेही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर।

उपस्थित :–
1. श्री निशान्त भार्गव अधिवक्ता अपीलाण्ट ।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–20.07.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक वाद बाबत् बंटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि ग्राम खेरली तहसील धौलपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 3396/1899 रकवा 02 बीघा 03 विस्वा में वादी/अपीलाण्ट 25/258 भाग की, प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 प्रत्येक 1/6–1/6 भाग के तथा प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 06 कुल 1/2 भाग के तथा प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 03 शेष 18/258 भाग के खातेदार कृषक हैं। विवादित आराजी का अभी विभाजन नहीं हुआ है। वादी/अपीलाण्ट का अब प्रतिवादी/रैस्पो0 के साथ संयुक्त काश्त करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् कराये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी, पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 20.03.2015 को प्राथमिक डिक्री करते हुए, तहसीलदार से कुर्रे प्रस्ताव तलब किये गये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वादी/अपीलाण्ट ने उन पर आपत्ति पेश की गयी जो दिनांक 11.07.2016 को स्वीकार की जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना तलब किये एवं बिना सुनवाई का मौका दिये दिनांक 23.05.2018 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत खेरली में पारित किया गया है एवं अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया एवं ना ही उक्त कैम्प की कोई सूचना ही अपीलाण्ट को दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पूर्व में प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने जिन त्रुटियों को इंगित किया था उन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2016 को स्वीकार कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया था। दिनांक 23.05.2018 को जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये उनमें भी वही त्रुटियॉ दौहराई गयी। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं एवं ना ही पटवारी हल्का मौके पर गया एवं ना ही पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को मौके पर बुलाया गया। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2011(2) पेज 829, 2017(1) पेज 689, 2021(1) पेज 469 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विभाजन प्रस्ताव तलव करते हुये विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि पूर्व में प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने जिन त्रुटियों को इंगित किया था उन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2016 को स्वीकार कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया था। परन्तु दिनांक 23.05.2018 को जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये उनमें भी वही त्रुटियॉ दौहराई गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सही मानते हुये एवं अपीलाण्ट को बिना सुने राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर दिया। हमने प्रकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी, पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प-धौलपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कैम्प-धौलपुर ★ भरतपुर ★

की आदेशिका दिनांक 20.03.2015 अनुसार, विवादित भूमि के बॅटवारे बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार धौलपुर से कुर्रे प्रस्ताव तलब किये गये हैं। उक्त आदेशो की पालना में तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 19.06.2015 को विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। जिस पर वादी/अपीलाण्ट ने दिनांक 28.09.2015 को आपत्ति पेश की गयी है। आपत्ति पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2016 को वादी/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र बाबत् आपत्ति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर पुनः पक्षकारो की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तलव करने हेतु आदेश दिये गये। तत्पश्चात् प्रकरण विभाजन प्रस्तावो के इंतजार में लम्बित रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेशिका दिनांक 03.04.2018 अनुसार अग्रिम पेशी दिनांक 28.05.2018 नियत की गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नियत पेशी दिनांक 28.05.2018 से पूर्व ही, दिनांक 23.05.2018 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वादिया/अपीलाण्ट की अनुपस्थिति अंकित कर, विभाजन प्रस्ताव तलव करते हुये अन्तिम डिक्री पारित कर दी। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2018 को तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये हैं एंव तहसीलदार धौलपुर द्वारा भी उसी रोज विभाजन प्रस्ताव तैयार कर, अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये हैं एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी उसी रोज वादी/अपीलाण्ट की अनुपस्थिति अंकित करते हुये, प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित कर दी। परंतु जिस कुरा रिपोर्ट को स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक बार अमान्य करार दिया जाकर पुनः कुरा रिपोर्ट तलब की गई है, वहां पर आपत्तिकर्ता को बिना सुने व उनकी अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री पारित किया जाना कानूनसम्मत नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को विभाजन प्रस्तावो पर प्रत्येक आपत्ति की विवेचना कर निस्तारण करना विधिक अपेक्षा है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी/अपीलाण्ट को उक्त दिवस/राजस्व लोक अदालत की जानकारी देने बाबत् कोई जारी शुदा/तामील शुदा, नोटिस/सम्मन उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि वादी/अपीलाण्ट को उक्त दिवस की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी एवं कुर्रे प्रस्ताव उनकी उपस्थिति में नहीं बनाये गये हैं। हमने कुर्रे प्रस्तावो का भी गहनता से अवलोकन किया। उक्त कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये गये हैं। कुर्रे प्रस्तावो पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर हो रहे हैं। विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये, पुनः राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना करते हुये, विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारो को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.08.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.07.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
कार्या0 भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प-धौलपुर
★ भरतपुर ★